बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

30 मार्च, 2022

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

कुल प्रश्न 34

दोषी पर कार्रवाई

***274 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत, बरौली प्रखंड के श्री दामोदर चौबे, चौवे टोला, वार्ड नं.-10 को कई वर्ष पूर्व इंदिरा आवास स्वीकृत हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि इन्हें जान-बूझकर इंदिरा आवास का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पर कार्रवाई करते हुए इन्हें कबतक इंदिरा आवास की पहली किस्त देना चाहती है, नहीं तो क्यों?

मनमाना पैसा वसूली

***293 श्री देवेश कुमार (विधान सभा):**

क्या **आपदा प्रबंधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कितने बिहारी नागरिक यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि यूक्रेन में फंसे हुए प्रदेशवासियों को वापस लाने के लिए सरकार के द्वारा क्या योजना बनाई गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो यूक्रेन में फंसे हुए कुछ बिहारी नागरिक किसी प्रकार भारत वापसी कर रहे हैं परंतु उनसे अधिक दामों पर यात्रा के लिए मनमाना पैसा वसूला जा रहा है उनके लिए बिहार सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

पर्यटन के रूप में विकसित

*416 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनबरसा प्रखण्ड स्थित विराटपुर चण्डिका स्थान तथा बांका जिलान्तर्गत शंभूगंज प्रखण्ड स्थित तेलडीहा कृष्णकाली भगवती महारानी स्थान का ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र विकास योजना के तहत पूर्ण विकास नहीं किया गया है;

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रश्नाधीन पौराणिक स्थल को पर्यटन के दृष्टिकोण से पूर्ण विकसित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

ट्रैफिक सिग्नल चालू कबतक

*417 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राजधानी के 82 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है जिसमें केवल 20 ट्रैफिक सिग्नल ही काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस उसका मेंटेनेंस कांट्रैक्ट का नवीकरण नहीं होने से 82 में 57 ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि इसके चालू करने हेतु 2 करोड़ एक लाख रुपये की आवश्यकता है जिसे विभाग द्वारा नहीं दिया जा सका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दुर्घटना से बचाने के लिए जनहित में ट्रैफिक सिग्नल को ठीक कराकर चालू करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त

***418 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला में जहानाबाद शहर के बीचों बीच दरघा नदी बहती है;

(ख) क्या यह सही है कि दरघा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है और यह नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि नदी में दोनों तरफ लोगों द्वारा इसका अतिक्रमण कर लिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि अतिक्रमण होने के कारण यह नदी धीरे-धीरे संकीर्ण होती जा रही है और इसके लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरघा नदी को बचाने के लिए इसे अतिक्रमण मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पदाधिकारी पर कार्रवाई

***419 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि दानापुर नगर परिषद् में कुल 40 वार्ड है, वार्ड के प्रत्येक पार्षद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1.50 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा विकास मद में दी जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र में वित्तीय वर्ष- 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में अधिकांश कार्य कागज पर किया गया और इसका भुगतान कार्यपालक पदाधिकारी की मिलीभगत से किया गया;

(ग) क्या यह सही है कि वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी ने बगैर मंत्रिमंडल

सचिवालय विभाग की सहमति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजकिशोर प्रसाद की प्रतिमा नगर परिषद् परिसर में स्थापित की है जो गैर कानूनी और असंवैधानिक है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या बतलाएगी कि सरकार उक्त वित्तीय वर्ष में कुल 40 वार्डों में कौन-कौन सी योजना स्वीकृत हुई तथा कितने कार्य का निष्पादन किया गया तथा कुल कितनी राशि की निकासी की गई और अनधिकृत रूप से लगाई गई प्रतिमा को हटवाने तथा उसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारी पर कौन सी कानूनी कार्रवाई करना चाहती है?

सडक तथा नाला का निर्माण

*420 **श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अन्तर्गत दानापुर नगर परिषद् की खगौल-दीघा सड़क के पश्चिम वार्ड नं.- 37 में कुसुमपुरम कॉलोनी में सावित्री भवन से पुल की ओर जाने वाली सड़क के किनारे नाला नहीं रहने से जलजमाव के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के किनारे नाला नहीं होने के कारण कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क पर ही गंदा पानी गिराया जाता है जिससे वहां स्थित लीड्स एशियन स्कूल के छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क तथा नाला का निर्माण कराने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्य का निष्पादन

*421 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के पाटलिपुत्र प्रमंडल के वार्ड नं.- 6 की सड़क संख्या 24-ओ संत मेरी स्कूल से सिंहजी हाउस तक की सड़क की जर्जर स्थिति एवं जल-जमाव के कारण बड़ी आबादी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के पीसीसी निर्माण एवं नाला निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा 61,89,400/- रुपया की आई थी जो एन.आई.टी.- 03 में क्रम संख्या-

15 है, परन्तु निधि के अभाव में कार्य संपादित नहीं हो पाया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के जर्जर अवस्था में रहने के कारण आमजन, विशेष रूप से स्कूली बच्चों एवं बुजुर्गों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सड़क निर्माण को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र कार्य निष्पादित कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मामले का निष्पादन

*422 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
कृया मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि भू-धारियों एवं किसानों के पास वैध कागजात होने के बाद भी भूमि दाखिल- खारिज / जमाबंदी रसीद कायम एवं सुधार का मामला पटना, नालंदा व नवादा जिला के विभिन्न अंचल कार्यालयों में लंबित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार सदन के माध्यम से यह बताएगी कि घोसवरी अंचलान्तर्गत भूमि दाखिल-खारिज / जमाबंदी रसीद कायम एवं सुधार के मामले का निष्पादन कराये जाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाला का निर्माण

*423 **डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
कृया मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड सं.- 02 में आई.सी. होन्डा वर्कशॉप, नहर पर से नाला का निर्माण किया गया है जिसे अंबेदकर पथ, नाला में मिलाना था, किन्तु उसे राजमहल मैरिज हॉल, त्रिशूल कॉलोनी तक लाकर छोड़ दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि त्रिशूल कॉलोनी के आगे नाला का जहां-तहां से बिना लेवल के निर्माण किया गया है जिससे सभी जगह बरसात के समय में सड़क पर पानी लगा रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त नाला का निर्माण इतना घटिया किया गया है कि नाला

अधिकांश जगह पर क्षतिग्रस्त हो रहा है तथा नाले की सफाई भी नहीं की जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित नाला को लेवल के साथ अम्बेदकर पथ नाला में मिलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पदाधिकारी पर कार्रवाई

***424 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने पहले चरण के 20 जिलों में जमीन का सर्वे का कार्य पूरा किये बिना दूसरे चरण के 18 जिलों में जमीन सर्वे का कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि दूसरे चरण के 18 जिलों के 100 अंचलों के 5100 गांवों की जमीन का सर्वे

01 फरवरी 2022 से प्रारंभ किया जाना था तथा 196 शिविरों का गठन किया जाना था जो अबतक नहीं किया गया है, जिससे दूसरे चरण का भी सर्वे का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के द्वारा असर्वेक्षित जमीन के सर्वे का कार्य अबतक प्रारंभ नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निर्धारित समय अवधि में सर्वे नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पशु मेला का अन्यत्र स्थानांतरण

***425 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिला के बी.एन.एच. स्कूल (+2) ब्रह्मपुर के बगल में पशु मेला का आयोजन किया जाता है जिस कारण विद्यालय परिसर में जानवरों की आवाजाही के कारण विद्यालय परिसर अस्त-व्यस्त एवं क्षतिग्रस्त हो जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि अभिभावक पशु मेला अवधि में अपने बच्चों को विद्यालय नहीं

भेजते हैं क्योंकि उन्हें पशुओं से खतरा रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि पठन-पाठन प्रभावित होने के कारण इस पशु मेला को पूर्व में अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया था परन्तु स्थानीय अधिकारियों के लोभ एवं दबाव में आने के कारण पुनः पशु मेला विद्यालय प्रांगण के बगल में ही शुरू कर दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि अभिभावकों द्वारा इस संबंध में बार-बार शिकायतें की जा रही हैं परन्तु पशु मेला को अन्यत्र स्थानांतरित करने का निर्णय नहीं लिया गया है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पशु मेला को विद्यालय परिसर से दूर स्थानांतरित करने हेतु आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

जमाबंदी को रद्द

***426 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्री रामाशंकर सिंह ग्राम- पिपरा, अंचल- डुमरिया, जिला- गया की मृत्यु वर्ष 1998 में हो गई, वे अपने पीछे उत्तराधिकारी के रूप में पत्नी- श्रीमती इन्दिरा देवी तथा दो पुत्री कामिनी सिंह एवं कंचन सिंह को छोड़ गये;

(ख) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, डुमरिया जिला- गया द्वारा रिश्वत लेकर अवैध रूप से नवम्बर 2021 में जमाबंदी नं.- 134 एवं 135 श्रीमती कामिनी सिंह के पुत्र-पुत्री के नाम से कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि जमाबंदी नं.- 134 एवं 135 रमाशंकर सिंह के मरणोपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती इन्दिरा देवी एवं उनकी दोनों पुत्रियों श्रीमती कामिनी सिंह एवं श्रीमती कंचन सिंह के नाम से होनी चाहिए;

(घ) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी डुमरिया द्वारा अवैध एवं गलत ढंग से कामिनी सिंह के पुत्र श्री पुरुषोत्तम सिंह एवं पुत्री पूजा सिंह के नाम से जमाबंदी कर दी गई है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'ख' में वर्णित जमाबंदी को रद्द कर खण्ड 'क' में वर्णित वाजिब उत्तराधिकारी के नाम जमाबंदी कायम करना चाहती है?

आश्रित का नाम दर्ज

***427 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जिला- जमुई, अंचल मौजा- विठलपुर की जमाबंदी सं.- 34/40, खाता सं.- 31, खेसरा- 390 में कुल 2.45 एकड़ जमीन स्व० जमुना सिंह के नाम से दर्ज है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त खाता-खेसरा में से 1.56 एकड़ जमीन जमुना सिंह के द्वारा अन्य व्यक्तियों को बेच दी गई;

(ग) क्या यह सही है कि फिलहाल 89 डिसमिल जमीन जमुना प्रसाद सिंह के आश्रित के कब्जे में है;

(घ) क्या यह सही है कि समाहरणालय जमुई (राजस्व शाखा) के पत्रांक- 268/रा०, दिनांक- 10.03.2006 को समाहर्ता जमुई द्वारा जमाबंदी 34/40 में 89 डिसमिल जमीन को सुधार कर उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र प्रेषित किया गया, उसके बावजूद भी रजिस्टर टू (II) में नाम दर्ज अबतक नहीं किया गया, रजिस्टर टू (II) में नाम दर्ज करने हेतु मा. विभागीय मंत्री के पत्रांक- 673, दिनांक- 9.7.2021 के माध्यम से आवेदनकर्ता ने जिलाधिकारी जमुई, भूमि उपसमाहर्ता जमुई एवं अंचलाधिकारी जमुई से सुधार हेतु अनुरोध किया लेकिन अबतक फलाफल कुछ नहीं निकला;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व० जमुना प्रसाद सिंह के आश्रित के नाम से 89 डिसमिल जमीन रजिस्टर टू (II) में यथाशीघ्र दर्ज कराना चाहती है?

लाइट की व्यवस्था

***428 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र में अभी भी कई स्थानों पर LED स्ट्रीट लाइट नहीं लगाये गये हैं, विशेषकर चौधराना रोड स्थित वर्ष 1941 से संचालित श्री लक्ष्मी नारायण धर्मशाला के निकट आजतक LED स्ट्रीट लाइट नहीं लगायी जा सकी है ;

(ख) क्या यह सही है कि धर्मशाला के निकट ट्रांसफार्मर के पोल पर वर्षों पुरानी वेपर लाइट लगी है जिसकी रौशनी लगभग समाप्त हो चुकी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र में LED स्ट्रीट लाइट लगाना चाहती है और विशेषकर श्री लक्ष्मी नारायण धर्मशाला के निकट ट्रांसफार्मर विद्युत पोल पर कम से कम दो LED लाइट लगवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सडक का निर्माण

***429 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नगर पंचायत, मैरवा सीवान के बीच से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क जर्जर एवं गड्ढे में तब्दील हो गयी है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित सड़क का निर्माण यथाशीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अधिकारियों पर कार्रवाई

***430 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री द्वारा शहरी क्षेत्र में जिनका कच्चा मकान है उन्हें 2022 ई. तक शत प्रतिशत आच्छादित करने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, मधुबनी द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत लाभुकों को कई किश्तों में अनुदान भी दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि इस जिला में कई ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त हुई और उन्होंने अपना मकान बनाना भी आरंभ कर दिया;

(घ) क्या यह सही है कि 1365 लाभार्थियों को बिना डी.पी.आर. की स्वीकृति के प्रथम व द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान कर दिया गया था जिनसे राशि की वसूली के लिए सरकार के स्तर पर प्रक्रिया की जा रही है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत दी गई राशि के नियमानुसार अनुपालन में दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करना चाहती है, और सरकारी योजना का शत प्रतिशत कार्यान्वयन कराना

चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पुनर्वास कबतक

*431 **श्री संजय सिंह (मनोनीत):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के अन्तर्गत हरिओ पंचायत में कहारपुर गांव है;

(ख) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों से कोशी नदी के कटाव से कहारपुर गांव का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि कोशी नदी के कटाव में सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गये हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कटाव रोकना चाहती है और विस्थापित परिवार के लिए पुनर्वास की व्यवस्था कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

डायरेक्ट्रियेट की स्थापना

*432 **श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

क्या **मंत्रिमंडल सचिवालय** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में अभी तक उर्दू डायरेक्ट्रियेट नहीं बना है, जिससे लोगों को कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार में डायरेक्ट्रियेट की स्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मानदेय राशि का भुगतान

*433 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के 8 जिला – गया, नालंदा, पूर्व चंपारण, पश्चिम

चंपारण, वैशाली, भागलपुर एवं पटना में जिला स्तरीय पर्यटक गाइड हैं, जिन्हें राज्य स्तरीय पर्यटक गाइड में प्रोन्नत की जाने की जरूरत है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 से अभी तक पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक गाइड की सेवा लेने पर महज 500/- रुपये की राशि प्रतिदिन की दर से भुगतान की जाती है, जिसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार में पर्यटक वर्ष में 4 से 5 महीना ही आते हैं और पर्यटक गाइड को बिहार में काम मिल पाता है और वो बाकी के समय वे बेरोजगारी का दंश झेलते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि पर्यटन रोजगार की दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र है और इसमें पर्यटक गाइड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्यटक गाइड को प्रोत्साहन सह मानदेय राशि देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर्यटक के रूप में विकसित

***434 श्री देवेश कुमार (विधान सभा):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्‌या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार पर्यटन के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से लगातार आगे बढ़ रहा है, पिछले पांच वर्षों में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है, वर्ष- 2014 में यहां आनेवाले पर्यटकों की संख्या 2.33 करोड़ थी, जो कि वर्ष 2019 में बढ़कर 3.50 करोड़ हो गयी है, इस दौरान देशी पर्यटकों की संख्या में 50% वृद्धि हुई है और यह 2.25 करोड़ से बढ़कर 3.39 करोड़ हो गयी है, वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या में 31% का इजाफा हुआ है और यह 8.3 लाख से बढ़कर 10.9 लाख हो गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) क्या यह सही है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार विगत बजट 2020-21 में कितनी राशि आवंटित की है;

(घ) क्या यह सही है कि बिहार के भभुआ और रोहतास जिले में मंझार कुंड, धुआं कुंड, तेलहर कुंड, करकतगढ़ में आकर्षक झरने हैं, उन्हें विकसित करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार-झारखंड सीमा पर स्थित सिमुलतला जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है, यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास कोई औपचारिक योजना है;

समाधान नहीं

***435 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी छोटे-बड़े शहरों में कचरे की निकासी हेतु डंपिंग जोन निर्धारित किया गया है जहां कचरा जमा करने की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह सही है कि डंपिंग जोन रहने के बावजूद भी कचरा यत्र-तत्र जमा किये जाने से चौबीसों घंटे दुर्गंध के फैलाव से संबंधित इलाके के वासियों तथा आने-जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगरवासियों को कचरे से फैल रहे प्रदूषण एवं आशंकित बीमारी से बचाने हेतु नगर तंत्र को स्थायी समाधान हेतु यथोचित निदेश देना चाहती है, नहीं तो क्यों?

उच्चस्तरीय जांच

***436 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद नगर परिषद् में भारी अनियमितता प्रकाश में आई है;

(ख) क्या यह सही है कि इस नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता की भी इस अनियमितता में संलिप्तता का संदेह है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर परिषद् जहानाबाद में हुई अनियमितता की उच्चस्तरीय जांच कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

निधि आवंटित

***437 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य मेला प्राधिकार द्वारा सभी तरह के मेलों, विशेषकर ग्रामीण मेलों के विकास मेला में आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं मूलभूत सुविधाओं की मुहैया कराने के लिए निधि आवंटित करती है, जिसका राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण एवं देखरेख की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के साम्हों अंचल के तहत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा गठित बाबा ब्रह्मदेव मंदिर न्यास समिति को राज्य मेला विकास प्राधिकार से मूलभूत सुविधा के विकास हेतु निधि मुहैया करवाई जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अंचल स्थित ब्रह्मदेव मंदिर न्यास समिति को निधि आवंटित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

***438 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के हथुआ राज ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा श्री मंशी चौधरी, पिता- तमेसर चौधरी, ग्राम- रघुनंदनपुर, थाना- उचका गांव, वाया- फुलवरिया को तौजी नं०- 3296, खाता नं.- 9, खेसरा- 52 से 11 डिसमिल जमीन दी थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर श्री चौधरी एवं रघुनाथ चौधरी दोनों को आजतक दखल-कब्जा नहीं दिलाकर अंचलाधिकारी, फुलवरिया ने किसी दबंग व्यक्ति को उस जमीन पर दखल-कब्जा दिला दिया है;

(ग) क्या यह सही है कि श्री मंशी चौधरी, रघुनाथ चौधरी दखल-कब्जा के लिए बराबर अंचल कार्यालय जाते हैं लेकिन अंचलाधिकारी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन को दबंग के कब्जे से मुक्त कराकर श्री चौधरी को दखल-कब्जा दिलाना चाहती है तथा दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

नाला निर्माण

***439 श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
कृया मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अन्तर्गत दीघा विधानसभा की पाटलिपुत्रा कॉलोनी के मकान सं.- 243 एवं मकान सं.- 199 के सामने स्थित पार्कों की चारों तरफ नाला का पानी जमा रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पार्क की चारों तरफ गंदे पानी से आती दुर्गन्ध के कारण लोगों का टहलना मुश्किल हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पार्क के आस-पास नालों के जल की निकासी का प्रबन्ध नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पार्कों के पास नाला निर्माण एवं जल निकासी का समुचित प्रबन्ध करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नीति मापदण्ड

***440 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
कृया मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न नगर निकाय प्रक्षेत्र में अपार्टमेंट बनाये जाने की नीति / मापदण्ड बनी हुई है, जिसकी समीक्षा विभाग अपने स्तर से करती है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में अमन-चैन कायम रहने के कारण राज्य मुख्यालय व जिला मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत बनाए जा रहे अपार्टमेंट की निगरानी किस विभागान्तर्गत की जानी है, यह तय नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सदन के माध्यम से अवगत कराएगी कि ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन व निर्मित अपार्टमेंट के लिए कोई नीति / मापदण्ड बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाले का पुनर्निर्माण

***441 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत पटना नगर निगम के वार्ड नंबर- 13, मोहल्ला – न्यू अलकापुरी, रोड नम्बर- 6, थाना- गर्दनीबाग में श्रीमती उर्मिला देवी के मकान से श्रीमती शोभा झा के मकान तक पूर्व निर्मित नाला एवं सड़क का लेवल नीचा एवं जर्जर है तथा नाला हमेशा भरा रहता है जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर अविरल गति से बहते रहता है एवं बराबर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर नाला एवं बरसाती पानी की निकासी न होने के कारण काफी दिनों तक जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है जो बहुत गंध देती है और यह आवागमन का एकमात्र रास्ता है, जिससे स्थानीय लोगों को दूषित जल से गंभीर बीमारी का शिकार होना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यथाशीघ्र उक्त स्थान पर सड़क एवं नाले का पुनर्निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पदनाम परिवर्तन

***442 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित कमिटी की दिनांक 20.12.2019 को आहूत बैठक में बिहार सचिवालय सेवा/लिपिकीय सेवा के मूल कोटि के पदनाम परिवर्तन करने की अनुशंसा की गई तथा इसका संलेख भी तैयार कर लिया गया है, फिर भी यह मामला विगत दो वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सेवा संवर्ग पदनाम परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाला का पक्कीकरण

***443 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले के दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र में चौधराना रोड स्थित अवस्थी घाट के निकट ऐतिहासिक 'हांडी साहब' का गुरूद्वारा है जहां देश-विदेश से हजारों पर्यटक उसे देखने एवं दर्शन करने आते रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वहीं चौधराना रोड के उत्तरी ओर कच्चा नाला है और नियमित रूप से सफाई नहीं होने के कारण नाला जाम हो जाता है तथा नाला का पानी गुरूद्वारा जाने वाली सड़क पर बहता रहता है जिसके कारण आने-जाने वाले पर्यटकों को असुविधा होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे ऐतिहासिक हांडी साहब गुरूद्वारा जाने वाले एकमात्र महत्वपूर्ण चौधराना रोड के उत्तरी हिस्से के नाला का पक्कीकरण, नाला ढक्कन सहित निर्माण कराने और तत्काल उक्त नाले की नियमित सफाई का आदेश नगर प्रशासन को देना चाहती है?

नियोजन पर योगदान

***444 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) का नियोजन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि समाहरणालय, सारण, छपरा के द्वारा दिनांक 28.12.2018 को 927 अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची तैयार की गई थी;

(ग) क्या यह सही है कि समाहरणालय, सारण, छपरा का आदेश संख्या 16/2019, ज्ञापांक 65 दिनांक 12.01.2019 को 380 एवं आदेश संख्या 165/2019, ज्ञापांक 755 दिनांक 03.09.2019 को 71 अभ्यर्थियों का नियोजन/योगदान कराया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शेष बचे 476 अभ्यर्थियों का नियोजन/योगदान कबतक करायेगी, नहीं तो क्यों?

भुगतान कबतक

***445 श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
कृया मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्री दामोदर चौबे, चौबे टोला, वार्ड नं.- 10, प्रखंड- बरौली, जिला- गोपालगंज का कई वर्ष पूर्व इंदिरा आवास स्वीकृत हुआ;

(ख) क्या यह सही है कि इन्हें जानबूझकर इंदिरा आवास का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पर कार्रवाई करते हुए इन्हें कबतक इंदिरा आवास की पहली किस्त का भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

परिजन को मुआवजा

***446 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या **आपदा प्रबंधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
कृया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) कृया यह सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखण्ड के बघौल निवासी श्री दिलीप पासवान के 15 वर्षीय पुत्र स्व. नवल कुमार की मौत दिनांक 05.10.2020 को सांप काटने से हो गयी ;

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त घटना के संदर्भ में जाले थाना कांड संख्या 13/2020, दिनांक 14.10.2020 को प्राथमिकी दर्ज है;

(ग) क्या यह सही है कि मृतक के परिजन को सरकार के द्वारा अभी तक सर्पदंश विषयक मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त मृतक के परिजन को मुआवजा राशि प्रदान करने का विचार करती है, नहीं तो क्यों?

उचित स्थान

***447 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
कृया मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद नगर परिषद् क्षेत्र का कूड़ा-कचरा बैरागीबाग-पिंजोरा रोड में सड़क, यमुना नदी किनारे फेंका (dump) जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि बैरागीबाग- पिंजोरा रोड कूड़ा (dump) फेंकने का उचित स्थान नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि इस स्थान पर कूड़ा-कचरा फेंकने (dump) से ग्राम-भरथुआ, बैरागीबाग एवं मनीबिघा के कई लोगों को खतरनाक बीमारी हो चुकी है, इन गांवों में महामारी फैलने का खतरा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उचित स्थान पर कूड़ा फेंकवाने (dumping) की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?